

## नियमावली

1. संस्था का नाम :- दयाल एजूकेशनल वेलफेर सोसाइटी,
2. संस्था का पता :- मोहन मार्केट छिबरामऊ जनपद-कन्नौज (उ० प्र०) पिन-209721
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
4. संस्था के उद्देश्य :- संलग्नक स्मृति पत्र के अनुसार होंगे।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्गः-

आजीवन सदस्य :-

1- भैरव यू०

विशिष्ट सदस्य :-

2- विभाग

सामान्य सदस्य:-

- 6- सदस्यता की समाप्ति :- मृत्यु होने पर, पागल होने पर, दिवालिया होने पर, किसी अन्य न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर सदस्यता शुल्क जमा न होने पर किसी अन्य अनियमितता करने पर संस्था के विशेष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी स्पष्टीकरण के अनुपस्थित रहने पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर, त्यागपत्र स्वीकृत होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त की जा सकती।

3- जैव

- 7- संस्था के अंग :-

4- जीवा

- 8- साधारण सभा का गठन :-

जो सज्जन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे। इस संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे। उनको इस संस्था के प्रबन्धक द्वारा सदस्य बनाया जायेगा।

जो सज्जन इस संस्था को 501-00 रु० एकमुश्त एक बार में दान स्वरूप निःस्वार्थ भावना से अदा करेंगे। वे इस संस्था के प्रबन्धक द्वारा आजीवन सदस्य लिखित संस्तुति देकर ही घोषित करेंगे या बना देंगे।

समाज के विशिष्ट विद्वान व्यक्ति जिन्हे संस्था के विकास की सम्भावनाये पाई जायेगी। राजनैतिक व्यक्ति या सरकार द्वारा सम्मानित उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को वरीयता देते हुए संस्था का विशिष्ट सदस्य एक वर्ष के लिए घोषित किये जावेंगे। इन सदस्यों से सदस्यता शुल्क नहीं लिया जायेगा और न ही इन सदस्यों को प्रबन्ध समिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

जो सदस्य इस संस्था को 21-00 रुपया प्रति वर्ष जून माह में सदस्यता शुल्क के रूप में अदा करेंगे। वे इस संस्था के सामान्य सदस्य उपलिखित औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रबन्धक द्वारा बनाया जाएगा।

संस्था के दो अंग होंगे -

- (अ) साधारण सभा।
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन माना जायेगा।

बैठकें:-

गणपूर्ति-



साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकारः-

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो होगी तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को तीन पूर्व डाक या य०पी०सी० या लिखित रूप में दे दी जायेगी।

गणपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति मानी जायेगी। स्थगित बैठक के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष हुआ करेगा। जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्ध समिति तय करेगी अथवा 15 अगस्त या 26 जनवरी प्रबन्ध समिति की जैसी भी अपनी सुविधानुसार करेगी।

1- संस्था के प्रबन्धक समिति का निर्वाचन करना।

2- संस्था के आय व्यय बजट को स्वीकृत करना।

3- संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन/परिवर्धन करना।

4- साधारण सभा में से 7 सदस्यों को बहुमत द्वारा चुनकर प्रबन्धकारिणी समिति का होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उप प्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या अवश्यकतानुसार बढ़ाइ या घटाइ जा सकती है। प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों को साधारण सभा व संचालित इकाई के जो भी पदाधिकार होंगे। प्रबन्धक का चुनाव आजीवन सदस्यों में से ही होगा।

बैठकें -

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में तीन होगी विशेष बैठके आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय बुलाइ जा सकती है।

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 07 दिवस पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 24 घन्टे पूर्व लिखित रूप से डाक द्वारा दी जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक रिक्त होने पर उस पद की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के बहुत से शेष कार्यकाल के लिए की जावेगी यदि कार्यकाल नजदीक है तो रिक्त पद के लिए कार्य को प्रबन्धक देखेंगे।

सत्य-प्रतिलिपि

रिक्त स्थानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मिक रिक्त होने पर उस पद की पूर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति के बहुत से शेष कार्यकाल के लिए की जावेगी यदि कार्यकाल नजदीक है तो रिक्त पद के लिए कार्य को प्रबन्धक देखेंगे।

कर्तव्य संहायक  
सामान्य सदस्य उपलिखित  
कार्यकाल का नियम

